(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 49 /2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त, 2021

सा.का.नि. ..... (अ)- जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "ग्लास फाइबर और इसके आर्टिकल्स" (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) कि प्रथम अनुसूची के शीर्षक 7019 के अंतर्गत आता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 48/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 1 सितम्बर, 2016, जिसे सा.का.नि. 846 (अ), दिनांक 1 सितम्बर, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त सीमाशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार अपने प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/34/2020-डीजीटीआर, दिनांक 25 सितम्बर, 2020, जिसे दिनांक 25 सितम्बर, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा समीक्षा का कार्य शुरू किया है;

और, जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/34/2020-डीजीटीआर, दिनांक 24 अगस्त, 2021, जिसे दिनांक 24 अगस्त, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया है, के तहत अपने अंतिम निष्कषों को जारी कर दिया है;

और जहां कि, केन्द्र सरकार, उक्त समीक्षा पर बिना कोई निर्णय लिए यह जरूरी समझती है कि उक्त विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित उक्त विषयगत वस्तु पर लगे प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखना आवश्यक है;

अत: अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 48/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 1 सितम्बर, 2016 जिसे सा.का.नि. 846 (अ), दिनांक 1 सितम्बर, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, इसमें निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण के पहले, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क 31 अक्तूबर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले

इसे वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो, लागू रहेगा ।”

[फाइल संख्या सीबीआईसी 190354/108/2021 –टीओ (टीआरयू-I) -सीबीईसी]

(ज. स. कंधारी)

उप सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 48/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 1 सितम्बर, 2016 को सा.का.नि. 846 (अ), दिनांक 1 सितम्बर, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था ।